

‘पॉवर टैरिफि सब्सिडी’ योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (Micro & Small Enterprises) को सस्ती बजिली मुहैया कराने के लिये ‘पॉवर टैरिफि सब्सिडी’ योजना अधिसूचिती की है।

- यह योजना 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी मानी जाएगी।

प्रमुख बडि

- हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत ‘पॉवर टैरिफि सब्सिडी’ योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत छोटे उद्योगों को 2 प्रति यूनिट सस्ती बजिली उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के ‘डी’ श्रेणी के विकास खंडों में 40 किलोवाट और ‘सी’ श्रेणी के विकास खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बजिली टैरिफि सब्सिडी का लाभ मलि सकेगा।
- इसका लाभ उठाने के लिये किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा, हरियाणा बजिली वितरण नगिम बलिों में से सब्सिडी राशा काटकर योजना का लाभ प्रदान करेंगे।